फर्द अहकाम

मैनाथ बनाम राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर कोटपूतली

संख्या 35/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13-8-24	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट ने अपीलार्थीगण की ओर से अपील पेश की गई। अपील निम्नवत पेश करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार कुलदीप एड. ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पैरोकार सरकार की ओर से आपत्ति प्राप्त नहीं। उक्त प्रकरण के अपीलार्थीगण द्वारा संक्षिप्त तथ्य प्रस्तुत पेश किये हैं कि आराजी खसरा नम्बर 492/0.35, 510/0.04, 511/0.05, 512/0.09, 515/0.25, 526/0.03, 527/0.03, 558/0.16, 577/0.08, 578/0.15, 585/0.09 कुल किता 11 रकबा 1.32 है० ग्राम [illegible] तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त ग्राम के खातेदार अपीलार्थीगण ने उक्त खसरा नम्बर में से दि. 29.11.19 खसरा नम्बर 578 रकबा 0.15 है० में से 9/20 हिस्से का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 पुन्जाराम पुत्र ... को हक त्याग किया गया, जिसका नामान्तरण 2085 दिनांक 20.2.20 पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर तहसीलदार शाहपुरा द्वारा तस्दीक किया गया। जिसमें खसरा नम्बर 578 में अपीलार्थीगण 1, 2, 3 का नाम हटाकर अन्य खसरा नम्बरान में अपीलार्थीगण संख्या 1, 2, 3 का नाम यथावत रखना था लेकिन हल्का पटवारी ने अपीलार्थीगण का अन्य खसरा नम्बरान में भी नाम पृथक कर दिया जिससे नाराज होकर अपील पेश की है। अपील पेश होकर दर्ज रजिस्टर की जावे।	

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
		प्रकरण में उभय पक्षों के अधिवक्ताओं एवं पैरोकार सरकार [illegible] को सुना गया अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोंडेंट नं. 2 के पक्ष में खसरा नम्बर 578 की आराजी का हकत्याग किया है अपीलान्ट कैलाश, बाबूलाल द्वारा उक्त खसरा नम्बर 578 में गुड्डी/ अपने हिस्से का हकत्याग किया है तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नामान्तरण संख्या 2085- बाडेगांव विडरा दिनांक 20.2.20 को स्वीकार करते समय केवल उक्त ख.न. 578 से अपीलार्थी संख्या 1,2,3 का नाम हटाया जाना चाहिए था लेकिन उपरोक्त अन्य खसरानम्बरान में उनका नाम व हिस्सा दर्ज नहीं किया गया जबकि अन्य खसरा नम्बरों में अपीलार्थी संख्या 1,2,3 का नाम यथावत दर्ज रहना चाहिए था तथा हाल जमाबंदी में भी अपीलार्थी नं. 1,2,3 का नाम दर्ज नहीं है। वकील रेस्पोंडेंट नं. 2 द्वारा किसी प्रकार की अपील बाबत कोई आपत्ति नहीं की है पैरोकार सरकार [illegible] द्वारा उपस्थित होकर कथन किया कि हकत्याग नामान्तरण करते समय अपीलार्थी संख्या 1,2,3 का नाम व हिस्सा दर्ज करने से रह गया है जिसे दुरुस्त किया जावे तो इसे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। नामान्तरण करते समय जो त्रुटि हुई है उसे दुरुस्त किया जाना न्याय संगत है	

फर्द अहकाम

कैलाशचन्द बनाम राजस्थान सरकार

न्यायालय अति० जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

संख्या 35/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	पत्रावली का अवलोकन करने एवं वकील उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त हक त्याग नामा० संख्या 2085 वाके ग्राम बिहारा तहसील शाहपुरा का दिनांक 20-2-20 तहसीलदार शाहपुरा द्वारा स्वीकार किया गया है स्वीकार करते समय उक्त नामान्तकरण में अपीलार्थी संख्या 1,2,3 का नाम व हिस्सा दर्ज करने से रह गया है अपीलार्थी संख्या 1,2,3 द्वारा केवल 578 कि० न० में अपने हिस्से का हक त्याग किया है इसके अलावा अन्य खसरा नम्बरान की जमाबंदी में ~~रेस्पोडेन्ट संख्या~~ अपीलार्थी सं० 1,2,3 का नाम व हिस्सा दर्ज होना चाहिए था इसलिए नामान्तकरण सं० 2085 को अपास्त किया जाना उचित समझता हूँ तथा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार की जाती है तथा नामा० सं० 2085 वाके ग्राम बिहारा तहसील शाहपुरा स्वीकार द्वारा तहसीलदार शाहपुरा दिनांक 20-2-20 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 29.11.19 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में कराया गया हक त्यागपत्र को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि संगत निर्णय पारित कर उभयपक्षों का नाम व हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खा० हो। हुक्म लिखवाकर सुनाया गया।	

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)